

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 837]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 7 दिसम्बर, 2016

सं. फेमा 381/2016- आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (अठारहवाँ संशोधन) विनियमावली. 2016

सा.का.नि.1118 (अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी)(इसके बाद "मूल विनियमवली" कहलाया जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (अठारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) की अनुसूची-1 के अनुबंध "बी" में निम्नवत पैराग्राफ़ों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

5639 GI/2016 (1)

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	विदेशी नि कैप (सी का प्रतिः	मा)	प्रवेश मार्ग									
कृषि													
1.	कृषि और पशुपालन												
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागबानी तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) पशुपालन (श्वान-प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और मधुमक्खी-पालन; तथा	100%	6	स्वचालित									
	डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं ।												
	टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र / गतिविधि में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।												
1.1	अन्य शर्तें:												
	'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है: (i) पृष्प उत्पादन, बागबानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए												
	का एक ऐसा तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु-आर्द्रता और खेत												
	नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन ह		`										
	अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानव			~									
5.	विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग)	100%		स्वचालित									
	इन विनियमावली के प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहते हुए 'विनिर्माण (मैनुफैक्चरिंग)' क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमित है। यह भी कि, विनिर्माता भारत में विनिर्मित अपने उत्पादों को सरकारी अनुमोदन के बिना ई-कॉमर्स सहित थोक / रीटेल सेल के माध्यम से बेच सकता है। ट्रेड क्षेत्र से संबंधित विदेशी निवेश नीति के प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी, भारत में विनिर्मित और/ अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों की ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स सहित, में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। खाद्य उत्पादों की रीटेल ट्रेडिंग में विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों को सरकारी अनुमोदन देने से पूर्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन बोर्ड द्वारा उन्हें प्रोसेस किया जाएगा।												
6.	रक्षा												
6.1	रक्षा रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है; और छोटे आयुध एवं गोला-बारूद का विनिर्माण आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन होगा। प्रीद्योगिकी अथवा ऐसे अन् कारण जिन्हें रेकॉर्ड किय												
6.2	अन्य शर्तें												
	 i. अनुमत स्वचालित मार्ग के स्तर पर ऐसी कंपनी में नया विदेशी निवेश प्राप्त करना, जो औद्योगिक लाइसेन्स नहीं चाहती है, किन्तु उसके स्वामित्व का प्रकार बदलने अथवा मौजूदा निवेशक की कंपनी में हिस्सेदारी नए विदेशी निवेशक को अंतरित करने के परिणाम स्वरूप फ्रेश निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। ii. लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ,वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। iii. इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंधी क्लियरेंस तथा उनके दिशानिर्देशों के अधीन होगी। 												
	iv. निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद ि हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी/ संयुक्त उद्यम कंपनी के प लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।												

सेवा क्षेत्र											
सूचना से	वाएँ										
7	प्रसारण										
7.1	प्रसारण वाहक सेवाएं										
7.1.1	(1) टेलीपोर्ट (अप-लिंकिग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना)	100%	स्वचालित मार्ग								
	(2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)										
	(3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने वाले और										
	डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)										
	(4) मोबाइल टीवी										
	(5) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)										
7.1.2	केबल नेटवर्क [अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए	100%	स्वचालित मार्ग								
	नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)]										
	2 1444 16 17 [61 7 545444], 41 16146412417 1617 1617 1617										
	अनुमति / लाइसेन्स नहीं चाहती है, किन्तु उसके स्वामित्व का प्रकार बदलने अथव	ा मौजूदा नि	वेशक की कंपनी में हिस्सेदारी								
	नए विदेशी निवेशक को अंतरित करने के परिणामस्वरूप फ्रेश निवेश के लिए सरका	र का अनुमोद	न आवश्यक होगा।								
9.	नागरिक उड्डयन										
9.2	एयरपोर्ट										
	(ए) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित मार्ग								
	(बी) मौजूदा परियोजनाएं	100%	स्वचालित मार्ग								
16.3	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार (SBRT)	100%	49% तक स्वचालित मार्ग								
			से								
			49% से अधिक सरकारी								
	2.02.00		मार्ग से								
		ापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना,									
		के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा									
	वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।										
	2) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन	किया जाएगा	:								
	(ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे।										
	(बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात भ एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।	गरत से इतर	एक या अधिक देशों में उत्पाद								
	(सी) 'एकल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनि	र्माण के दौरा	न ब्रैंडेड किया जाता है।								
	(डी) किसी अनिवासी संस्था / संस्थाओं को, चाहे वह ब्रैंड की मालिक हो अथवा अ	न्यथा, विशिष	^{उट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड}								
	उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के मालिक के साथ किए गए कानूनी तौर पर	मान्य करार वे	के अधीन, विशिष्ट ब्रैंड के लिए								
	देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त व										
	ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय एंटिटी की होगी। निवेश करने व		· ·								
	प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रू										
	लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य लेने वाले मामले SIA/FIPB के पास फाइल किए जाने चाहिए।	मारताय ।रज़	ाव बक क पास आर अनुमादन								
	पम पाप नानप अम्पाटि के पास काइल किए जान चाहिए।										

- (ई) 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30% की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (MSME), ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देसी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा कंपनी द्वारा कारोबार शुरू करने के वर्ष अर्थात प्रथम स्टोर की शुरुआत वाले वर्ष की 01 अप्रैल से की जाएगी, जिसमें कंपनी को अपने पिछले पाँच वर्षों के माल की खरीद के औसत मूल्य का विवरण देना होगा। बाद में इस अपेक्षा को वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद रीटेल व्यापार हेतु विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।
- (एफ़) उपर्युक्त पैरा की शर्तों के अधीन, जिन सिंगल ब्रांड रीटेल कंपनियों के स्टोर भौतिक रूप से मौजूद हैं, उन्हें ई-कॉमर्स के माध्यम से रीटेल ट्रेडिंग करने की अनुमति होगी।
- 3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमित प्राप्त करने हेतु आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA) को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए FIPB द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।

नोट:

- i. भारतीय ब्रांड के सिंगल ब्रांड रीटेल ट्रेड (SBRT) के संबंध में उपर्युक्त पैरा (2)(बी) एवं (2)(डी) की शर्तें लागू नहीं होंगी।
- ii. भारतीय ब्रांड के निर्माता को अपने निर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने की अनुमति है।
- iii. भारतीय निर्माता को निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी माना जाएगा, जहां वह भारतीय ब्रांड की मालिक है और जो भारत में निर्माण करती है, वह अपने उत्पादों के मूल्य के अनुसार कम से कम 70% उत्पादों निर्माण घरेलू आधार पर और अधिकतम 30% उत्पादों का निर्माण भारतीय निर्माताओं के माध्यम से करती है।
- iv. भारतीय ब्रांड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो।
- v. "अत्याधुनिक" एवं "उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों से संबन्धित एंटीटीयों के मामलों में जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है ऐसी एंटिटियों के संबंध में उनके कारोबार प्रारम्भ करने की तारीख से अर्थात प्रथम स्टोर खोलने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक की अविध हेतु सोर्सिंग संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके पश्चात पैराग्राफ (2) (ई) में विनिर्दिष्ट प्रावधान लागू होंगे।

	4 1 1 1 1 1 2 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
17.	फार्म ास् यूटिकल									
17.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित							
17.2	ब्राउन फील्ड	100%	74% तक स्वचालित,							
			74% से अधिक सरकारी							
			मार्ग से							
17.3	अन्य शर्तें									
	(i) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) के अनुमोदन से केवल विशिष्ट पा	रेस्थितियों व	ो छोडकर स्वचालित अथवा							
	सरकारी अनुमोदन मार्ग में 'गैरप्रतिस्पर्धी-' खंड की अनुमति नहीं होगी ।									
	(ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि विदेः	पी निवेश संव	ार्धन बोर्ड (FIPB) आवेदन के							
	साथ पैरा 17.4 में उल्लिखितानुसार उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें									
	(iii) ब्राउनफील्ड मामलों में विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देते समय सरकार	उचित शर्तें व	लगा सकती है।							

(iv) स्वचालित तथा सरकारी अनमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत ब्राउनफील्ड फर्मास्यटिकल्स में विदेशी निवेश इसके

अलावा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- ए) आवयशक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन स्तर तथा एफ़डीआई प्रवर्तित करते समय घरेलू बाज़ार में उनकी आपूर्ति अगले पाँच वर्षों में पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर बनी रहे। इस स्तर के लिए बेंचमार्क, विदेशी निवेश प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले तीन वित्तीय वर्षों में NLEM औषधियों और/ अथवा उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन स्तर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। इनमें से, इन तीन वर्षों में से उत्पादन के उच्चत्तम स्तर को स्तर के रूप में लिया जाएगा।
- बी) विदेशी निवेश प्रवर्तित करते समय अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर किए गए खर्च को पूर्णतया मात्रात्मक स्तर पर मूल्य के अर्थ में पाँच वर्षों के लिए बनाए रखना। इस स्तर के लिए बेंचमार्क का निर्धारण विदेशी निवेश प्रवर्तन वर्ष के तुरंत पिछले वर्ष से अगले किसी तीन वर्षों में हुए अनुसंधान एवं विकास (R&D) खर्च के उच्चत्तम स्तर के संदर्भ में किया जाएगा।
- सी) निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अपने द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश सहित प्रोद्योगिकी का अंतरण, यदि कोई हो, संबंधी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- डी) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रशासनिक मंत्रालयों यथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, औषध विभाग अथवा अन्य कोई नियामक एजेंसी/विकास, शर्तों के अनुपालन की जांच करेंगे।

नोट

- i. मेडिकल डिवाइस (उपकरण) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। अतः उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।
- ii. मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात :-
 - ए) विनिर्माता द्वारा अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी यंत्र (instrument), उपकरण (apparatus), औज़ार (appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो अकेले अथवा अन्य उपकरणों के साथ मिलकर विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा बहुविध विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हों, जैसे :
 - (एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा उससे राहत के लिए;
 - (एबी) किसी जख्म अथवा विकलांगता की पहचान, निगरानी, इलाज, उससे राहत अथवा सहायता के लिए;
 - (एसी) शारीरिक संरचना अथवा शरीर विज्ञान प्रक्रिया के तहत जांच, बदलाव अथवा सुधार अथवा सहायता के लिए
 - (एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक;
 - (एई) मेडिकल डिवाइसों (उपकरण) का विसंक्रमण;
 - (एएफ) गर्भाधान नियंत्रण

एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर / में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के माध्यम से अपनी मूल कार्रवाई के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं;

- बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औज़ारों, सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं के सहायक उप-साधन;
- (सी) उपकरण जो अभिकर्मक (regeant), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इन्स्टुमेंट, उपकरण (apparatus), औज़ार (instrument) अथवा सिस्टम जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों;
- iii. उपर्युक्त नोट (ii) में दी गई चिकित्सा उपकरण की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामाग्री अधिनियम,1940 में समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी।

17.4	भावी निवेशक तथा भावी निवेश प्राप्तकर्ता एंटीटी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र
	प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सभी पारस्परिक करारों की संपूर्ण सूची है जिसमें , विदेशी निवेशक(कों) तथा निवेश
	प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल एंटीटी के बीच किया हुआ शेयर-धारक करार शामिल है।
	1
	2

(सभी समझौतों की प्रतियाँ संलग्न हैं)

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी निवेशक(कों) तथा निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल एंटीटी के बीच किए हुए पारस्परिक करार जिसमें शेयर-धारक करार शामिल है, में किसी प्रकार में, जो भो हो, गैर-प्रतिस्पर्धी खंड निहित नहीं है।

साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी निवेशक(कों) तथा निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल एंटीटी के बीच उपर्युक्त सूचीबद्ध के अलावा कोई और संविदा/ करार नहीं है।

विदेशी निवेशक(कों) तथा निवेश प्राप्तकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल एंटीटी वचनबद्ध है कि इस आवेदन के प्रस्तुतीकरण एवं उस पर विचार किए जाने के उपरांत यदि उनके बीच किसी प्रकार का पारस्परिक करार होता है, तो वे उसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को प्रस्तुत करेंगे।

[सं. 1/16/ईएम/2016]

रोहित जैन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि.सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008

सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014

सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015

सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
सा.का.नि. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
सा.का.नि. सं. 465(अ) दिनांक 28.04.2016
सा.का.नि. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
सा.का.नि. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016
सा.का.नि. सं. 1002(अ) दिनांक 24.10.2016
सा.का.नि. सं. 1003(अ) दिनांक 24.10.2016
सा.का.नि. सं. 1015(अ) दिनांक 27.10.2016
सा.का.नि. सं. 1042(अ) दिनांक 04.11.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th December, 2016

No FEMA 381/2016 RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eighteenth Amendment) Regulations, 2016

G.S.R.1118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:—

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eighteenth Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1

In Annex B to Schedule 1 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), the following paragraphs shall be substituted with the following, namely:

SL. No	Sector/Activity	Foreign Cap (%		Investm	ent	Entry Route					
Agricultu	re										
1.	Agriculture & Animal Husbandry										
	 a) Floriculture, Horticulture and Cultivation of Vegetables & Mushrooms under controlled conditions; b) Development and production of seeds and planting material; c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture, Apiculture; and d) Services related to agro and allied sectors. Note: Other than the above, foreign investment is not allowed in any other 	100%				Automatic					
1.1	agricultural sector/activity Other Conditions										
1.1	Onei Conditions										
5	The term 'under controlled conditions' covers the following: (i) 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of floriculture, horticulture, cultivation of vegetables and mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, a humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improve infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.										
5	Manufacturing		1009	%	Aut	tomatic					
	the foreign investment policy provisions on trad approval route is allowed for trading, includi manufactured and/or produced in India. Appli trading would be processed in the Department of by the Government for approval.	ng thro	ugh for 1	e-comme foreign in	rce, ivestr	in respect of food products ment in food products retail					
6.	Defence										
6.1	Defence Industry subject to Industrial license the Industries (Development & Regulation) Act, and Manufacturing of small arms and ammu under the Arms Act, 1959	1951;	100	0%	Gov whe	vernment route beyond 49% erever it is likely to result in ess to modern technology or other reasons to be recorded.					
6.2	Other Conditions	I									
	 i. Infusion of fresh foreign investment within the permitted automatic route level, in a company neseeking industrial license, resulting in change in the ownership pattern or transfer of stake the existing investor to new foreign investor, will require Government approval. ii. Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence are Ministry of External Affairs. iii. Foreign investment in the sector is subject to security clearance and guidelines of the Ministry of Defence. iv. Investee company should be structured to be self-sufficient in areas of product design are development. The investee/joint venture company along with manufacturing facility, should also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India. 										
	Defence. iv. Investee company should be structured development. The investee/joint venture company should be structured development.	to be so	alon	ng with m	nanufa	reas of product design and acturing facility, should also					
Samiles S	Defence. iv. Investee company should be structured development. The investee/joint venture company maintenance and life cycle support factors.	to be so	alon	ng with m	nanufa	reas of product design and acturing facility, should also					
Services S	Defence. iv. Investee company should be structured development. The investee/joint venture company maintenance and life cycle support factors.	to be so	alon	ng with m	nanufa	reas of product design and acturing facility, should also					

7.	Broadcasting												
7.1	Broadcasting Carriage Services												
7.1.1	 Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports); Direct to Home (DTH); Cable Networks (Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability): Mobile TV; Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS) 	n tt dd ss dd											
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)). Note: Infusion of fresh foreign investment, from sectoral Ministry, resulting in change investor to pay foreign investor, will require	in the ownership patt											
	investor to new foreign investor, will require Government approval												
9.	Civil Aviation	1	I										
9.2	Airports (a) Greenfield projects	100%	Automatic										
	(b) Existing projects	100%	Automatic										
16.3	Single Brand Retail trading (SBRT)	100%	Automatic up to 49%. Government route beyond 49%										
	 Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouragin increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprise through access to global designs, technologies and management practices. Foreign investment in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions: a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only. b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India. c) 'Single Brand' product retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, direct or through a legally tenable agreement with the brand owner for undertaking single brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval. e) In respect of proposals involving foreign investment beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottag industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procureme requirement woul												

- business i.e. opening of the first store. Thereafter, it would have to be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of foreign investment for the purpose of carrying out single brand product retail trading.
- f) Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce.
- 3) Application seeking permission of the Government for foreign investment exceeding 49% in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of foreign investment up to 49 %, the list of products/product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI.
- Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.

Note:

- Conditions mentioned at Para (2) (b) & (2) (d) above will not be applicable for undertaking Single Brand Retail Trading (SBRT) of Indian brands.
- An Indian manufacturer is permitted to sell its own branded products in any manner i.e. wholesale, retail, including through e-commerce platforms.
- Indian manufacturer would be the investee company, which is the owner of the Indian brand and which manufactures in India, in terms of value, at least 70% of its products in-house, and sources, at most 30% from Indian manufacturers.
- Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens.
- Sourcing norms will not be applicable up to three years from commencement of the business i.e. opening of the first store for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology and where local sourcing is not possible. Thereafter, provisions of Para (2) (e) above will be applicable.

17.	Pharmaceuticals		
17.1	Greenfield	100%	Automatic
17.2	Brownfield	100%	Automatic up to 74%
			Government route beyond 74%
17.3	Other Conditions		

- 'Non-compete' clause would not be allowed in automatic or government approval route except in special circumstances with the approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
- (ii) The prospective investor and the prospective investee are required to provide a certificate along with the FIPB application as given at Para 17.4.
- (iii) Government may incorporate appropriate conditions for foreign investment in brownfield cases, at the time of granting approval.
- (iv) foreign investment in brownfield pharmaceuticals, under both automatic and government approval routes, is further subject to compliance of following conditions:
 - a) The production level of National List of Essential Medicines (NLEM) drugs and/or consumables and their supply to the domestic market at the time of induction of foreign investment, being maintained over the next five years at an absolute quantitative level. The benchmark for this level would be decided with reference to the level of production of NLEM drugs and/or consumables in the three financial years, immediately preceding the year of induction of foreign investment. Of these, the highest level of production in any of these three years would be taken as the level.
 - b)Research and Development (R&D) expenses being maintained in value terms for 5 years at an absolute quantitative level at the time of induction of foreign investment. The benchmark for this level would be decided with reference to the highest level of R&D expenses which has been incurred in any of the three financial years immediately preceding the year of induction of foreign investment.
 - c) The administrative Ministry will be provided complete information pertaining to the transfer of technology, if any, along with induction of foreign investment into the investee company.

d) The administrative Ministry (s) i.e. Ministry of Health and Family Welfare, Department of Pharmaceuticals or any other regulatory Agency/Development as notified by Central Governemnt from time to time, will monitor the compliance of conditionalities.

Note:

- i. foreign investment up to 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The above mentioned conditions will, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects of this industry.
- ii. Medical device means :
 - a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, material or other article, whether used alone or in combination, including the software, intended by its manufacturer to be used specially for human beings or animals for one or more of the specific purposes of:-
 - (aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of any disease or disorder;
 - (ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or assistance for, any injury or handicap;
 - (ac) investigation, replacement or modification or support of the anatomy or of a physiological process;
 - (ad) supporting or sustaining life;
 - (ae) disinfection of medical devices;
 - (af) control of conception;
 - and which does not achieve its primary intended action in or on the human body or animals by any pharmacological or immunological or metabolic means, but which may be assisted in its intended function by such means;
 - b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article;
 - c) a device which is reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument, apparatus, equipment or system whether used alone or in combination thereof intended to be used for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by means of in vitro examination of specimens derived from the human body or animals.
- iii. The definition of medical device at Note (ii) above would be subject to the amendment in Drugs and Cosmetics Act, 1940, as amended from time to time.

17.4 Certificate to be Furnished by the Prospective Investor as well as the Prospective Recipient Entity

It is certified that the following is the complete list of all inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity

1.										
2.										
3.										

(copies of all agreements to be enclosed)

It is also certified that none of the inter-se agreements, including the shareholders agreement, entered into between foreign investor(s) and investee brownfield pharmaceutical entity contain any non-compete clause in any form whatsoever.

It is further certified that there are no other contracts/agreements between the foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity other than those listed above.

The foreign investor(s) and investee brownfield pharma entity undertake to submit to the FIPB any inter-se agreements that may be entered into between them subsequent to the submission and consideration of this application.

[No. 1/16/EM/2016]

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013 G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013 G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013 G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013

G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013 G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014 G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014 G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014 G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014 G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014 G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014 G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014 G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015 G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015 G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015 G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015 G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015 G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015 G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015 G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015 G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015 G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016 G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016 G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016 G.S.R.No. 465 (E) dated 28.04.2016 G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016 G.S.R.No. 879 (E) dated 09.09.2016 G.S.R.No. 1002 (E) dated 24.10.2016 G.S.R.No. 1003 (E) dated 24.10.2016 G.S.R.No. 1015 (E) dated 27.10.2016 G.S.R.No. 1042 (E) dated 04.11.2016